कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के विवरणों में यदि कोई त्रुटि शेष है अथवा विद्यार्थियों के विवरण डिलीट/रिस्टोर किया जाना अपेक्षित है, तो संबंधित प्रधानाचार्य ऐसे प्रकरणों को निम्नानुसार आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में दिनांक 25-01-2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें:-

क्रम	संशोधन का प्रकार	आवश्यक प्रपत्र
1-	विद्यार्थी का विवरण रिस्टोर किया जाना	प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, पंजीकरण प्रपत्र, कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि, कोषागार में जमा शुल्क की प्रति, नामावली (10/12), उपस्थिति पंजिका की प्रति, परीक्षार्थी का पहचान पत्र, रिस्टोर का कारण
2-	विद्यार्थी का विवरण डिलीट किया जाना	प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, पंजीकरण प्रपत्र, नामावली, डिलीट कराने का कारण
3-	विद्यार्थी के नाम अथवा माता/पिता के नाम में वर्तनी त्रुटि	प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र, एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी० सी०, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी० सी०, पंजीकरण प्रपत्र, नामावली (10/12), परीक्षार्थी का पहचान पत्र
4-	विद्यार्थी के विषय/वर्ग में संशोधन	प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, पंजीकरण प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र, नामावली (10/12), छात्र/अभिभावक सहमति पत्र
5-	विद्यार्थी की जन्मतिथि में संशोधन	प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, छात्र का प्रवेश आवेदन पत्र, एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति, परीक्षार्थी का पहचान पत्र, कक्षा 9वीं अथवा 11वीं के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि, सही प्रविष्टियों से सम्बन्धित हलफनामा (AFFIDAVIT), जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी० सी०, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी० सी०
6-	जेण्डर संशोधन/जाति संशोधन	प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र, परीक्षार्थी का पहचान पत्र, छात्र/अभिभावक सहमति पत्र

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की शेष त्रुटियों अथवा डिलीट/रिस्टोर के प्रकरणों का विद्यालयवार विवरण, समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों एवं अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित, दिनांक 31-01-2026 तक अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे तदनुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही संपादित की जा सके।

छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों में संशोधन अथवा डिलीट/रिस्टोर हेतु छात्रहित को ध्यान में रखते हुए यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

(भगवती सिंह)
सचिव

पृ0सं0: मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 1259 (1-5) दिनांक : 17/01/2026

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति को जनहित में अपने समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में मुख्य पृष्ठ पर नि:शुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2- शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

4- अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति का अपने स्तर से परिक्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

5- जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति का अपने स्तर से जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

17/1/26
(भगवती सिंह)
सचिव